

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में माह मार्च, 2018 के वेतन का भुगतान ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट की समस्त अनुदानों की मांगे विधान मण्डल द्वारा पारित हो चुकी है तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा सचिवालय के समस्त अनुभागों, समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों को वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट के लिये वित्तीय स्वीकृतियों जारी किये जाने हेतु दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं, परन्तु यह सम्भव है कि कतिपय विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषागारों को माह अप्रैल, 2018 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह तक वेतनादि की धनराशि आवंटित न की जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के समस्त कोषागारों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे बजट आवंटन की प्रत्याशा में केवल माह मार्च, 2018 के वेतन का भुगतान राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों/ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ विश्व विद्यालयों/चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों एवं चिकित्सा विश्व विद्यालय के नियमित शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को माह अप्रैल, 2018 में सुनिश्चित करें।

भवदीय

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।